(1)

From:

Additional Chief Secretary, Govt. of Haryana,
Forest and Wildlife Department, Chandigarh.

To

Principal Chief Conservator of Forests
and Chief Wildlife Warden, Haryana,
Panchkula.

Memo No. 372 -Ft-4-2020/ 1658
Chandigarh, dated the 3/03/2020

Sub: **Fixation of the compensation norms for loss of crops due to Wildlife Animals.**

****

The Haryana Government has fixed the following compensation norms for loss/ damage to crops by the Wild Animals in Haryana:-

1	Crop damage by wild animals (where crop loss is 33% and above)	
	a) For agriculture crops, horticulture crops and annual plantation crops	6,800/- Per Ha. in rainfed areas and restricted to sown areas. 13,500/- Per Ha. in assured irrigated areas, subject to minimum assistance not less than Rs. 1000 and restricted to sown areas.
	b) Perennial crops	18,000/- Per Ha. for all types of perennial crops subject to minimum assistance not less than Rs. 2000/- and restricted to sown areas.
	c) Sericulture	4,800/- Per Ha. for Eri, Mulberry, Tussar 6,000/- Per Ha. for Muga
2	Housing	
	a) Fully damaged/ destroyed houses	
	i. Pucca House	
	ii. Kutcha House	95,100/- Per House in Plain area
	b) Severely damaged	
	i. Pucca House	1,01,900/- Per house in hilly areas Including integrated Action Plan (IAP) Districts.
	ii. Kutcha House	
	c) Partially Damaged House-	
	i. Pucca (other than huts) where the damage is atleast 15 %	5,200/- Per House

	ii. Kutcha (other than huts) where the damage is atleast 15 %	3,200/- Per House
	d) Damaged/ destroyed huts:	4,100/- Per Hut (Hut Mean Temporary make shift unit, inferior to Kutcha house made of thatch mud plastic sheets etc. traditionally recognized as hut by the State/District Authorities. Note:- The Damaged house should be an authorized construction duly certified by the Competent Authority of the State Government.
	e) Cattle shed attached with house	2,100/- per shed.

The above compensation shall be granted after compliance of the following conditions:-

Entitlement of the Compensation Amount:-

The entitlement of the compensation amount shall be under the following conditions:-

1. Death, Injury or Disability due to attack of leopard, Wild Elephant, Hyena, Wild Boar, Snake.
2. Damage to the domestic animals by the leopard, Hyena, Wild Boar or Snake.
3. Crop damage by the Wild Elephant, Wild Boar, Rojh, Barking Deer, Sambar, Cheetal, Monkey.
4. Damage to the houses by the Wild Elephants.
5. The cause of action for the compensation amount should arise within the territory of state of Haryana only.

The illegality of the entitlement of the compensation amount:-

1. The entitlement for old person medically unfit, disabled or mentally unfit the abondonment of the minor shall be illegal.
2. There shall not be entitlements for compensation for any Act in National Park/Wildife Sanctuary/Protected Area/Reserved Forests.
3. The person riding on the vehicle shall not be entitled to compensation in case of accident.
4. The compensation for damage shall be given by one department of the Haryana Govt. No person shall claim the compensation from two or more departments for the same damage.

The process of granting the compensation amount:-

A) The process of granting compensation to the person injured by the wild animals shall be as follows:-

1. The information regarding the death, disability, injury to the person by the Wild Animals shall be given immediately to the local Wildilfe Guard/Forest Guard/Sub-Inspector Wildlife/Wildife Inspector/Divisional Wildlife Officer/Police.
2. The Report of the inquiry shall be submitted before the Divisional Office by the Wildlife Inspector/Forest Range Officer.
3. The Certificate shall be issued by the Doctor of the State regarding the death, disability or injury of the person by the Wild Animals.
4. The Certificate shall be taken from the competent officer of the Revenue Department regarding the dependents of the dead person before granting the compensation amount
5. The dead body of the person shall not be removed from the scene of the incident till the inspection of the Department and the footprints of the Wild Animals shall also not be cleared.

B) The process of granting compensation amount for injury to the cattles by the Wild Animals shall be as follows:-

1. The information regarding the death of the cattle shall be given within 24 Hours of the death by the owner of the cattle to the local Wildilfe Guard/Forest Guard/Sub-Inspector Wildlife/Wildife Inspector/Divisional Wildlife Officer/Police.
2. The body of the cattle shall not be removed from the scene of the incident before the confirmation of killing of the cattle by the Wild Animals by the Village Head or Incumbent public representative. The compensation amount shall not be granted in case of putting any toxic or pesticide on the body of the cattle and tampering with the body of the cattle.
3. It is mandatory to do the post-mortem of the cattle by the Veterniary Hospital.
4. The body of the dead cattle shall not be removed from the place of incident before inspection by the Department and footprints of the Wild Animals shall also not be cleared.
5. There shall not be entitlements of compensation for any Act in National Park/Wildife Sanctuary/Protected Area/Reserved Forests.

C) The process of granting compensation for damage to the houses by the Wild Elephants shall be as follows:-

1. The house owner shall give immediate information to the local Wildilfe Guard/Forest Guard/Sub-Inspector Wildlife/Wildife Inspector/Divisional Wildlife Officer/Police regarding damage by the Elephants.
2. The inquiry report shall be made available to the Divisional Wildlife Officer after cumulative assessment by the concerned Tehsildar/NaibTehsildar and Range Officer/ Wildlife Inspector and final inquiry report shall be submitted by them to the concerned Chief Wildlife Warden, Haryana within one month positively. The concerned Chief Wildlife Warden, Haryana shall be entitled to approve the proposed compensation amount after getting the final inquiry report.

D) **The process of granting compensation regarding damage to the crops by the Wild Animals.**

1. The information regarding the damage to the crops by the Wild Animals by the Owner of the farm/tenant farmer shall be given to the local Wildilfe Guard/Forest Guard/Sub-Inspector Wildlife/Wildife Inspector/Divisional Wildlife Officer.
2. The payment/assessment of the compensation shall be given after inspection at the time of harvest.
3. The inquiry report shall be made available to the Divisional Wildlife Officer after cumulative assessment by the concerned Tehsildar/NaibTehsildar and Range Officer/ Wildlife Inspector and final inquiry report shall be submitted by them to the concerned Chief Wildlife Warden, Haryana within one month positively. The concerned Chief Wildlife Warden, Haryana shall be entitled to approve the proposed compensation amount after getting the final inquiry report.
4. The crop damage by the Wild Animals, Natural Disaster, natural hailstone shall be taken as one and the compensation shall be granted according to the rules of the Revenue Department.

Superintendent
for Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Forest & Wildlife Department.

Endst. No. 372 -Ft-4-2020/ 1679 Chandigarh, dated the 3/03/2020

A copy is forwarded to the following for information & necessary action:-

1. The Chief Secretary to Government Haryana.
2. Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana, Revenue & Disaster Management Department, Chandigarh.
3. All the Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries to Govt Haryana.
4. All the Heads of the Department/Boards/Corporations/Universities in Haryana.
5. All the Divisional Commissioners in Haryana.
6. All the Deputy Commissioners in Haryana.

Superintendent
for Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Forest & Wildlife Department.

1

प्रेषकः—

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वन एवं वन्य प्राणी विभाग, चण्डीगढ़।

सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं मुख्य वन्य प्राणी वार्डन,
हरियाणा, पंचकूला।

यादी क्रमांक 372—व—4—2020/1658
चण्डीगढ़, दिनांक 3/03/2020

विषयः वन्य प्राणियों द्वारा होने वाले फसलो के नुकसान के एवज मे मुआवजा रेट निर्धारित करने बारे।

हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा में वन्य प्राणियों द्वारा होने वाले फसलो के नुकसान के एवज मे निम्नप्रकार मुआवजा रेट निर्धारित किये जाते हैः—

1	जगली जानवरो द्वारा फसलो का नुकसान (जहां फसलो का नुकसान 33 प्रतिशत से अधिक)	
	a) कृषि फसलो, बागवानी, फसलो और वार्षिक वृक्षारोपण फसलों के लिये	6,800/- प्रति है0 बरसाती क्षेत्र और बोये हुए क्षेत्र तक सीमित 13,500/- प्रति है0 आश्वासित सिंचित क्षेत्र किन्तु न्यूनतम सहायता 1000 रूपये से कम नही होगी और बोये हुये क्षेत्र तक सीमित होगी
	b) बारहमासी फसले	18,000/- प्रति है0. सभी प्रकार की बारहमासी फसलो के लिये न्यूनतम सहायता 2000 रूपये से कम नही होगी और बोये हुये क्षेत्र तक सीमित होगी।
	c) रेशम के कीडों का पालन	4,800/- प्रति है0. इरी मलबैरी और टसर के लिये 6,000/- प्रति है0. मूगा के लिये
2	आवास	
	a) पूर्ण रूप से क्षति ग्रस्त/ नष्ट आवास	
	i) पक्का घर	95,100/- प्रति घर मैदानी क्षेत्र के लिये
	ii) कच्चा घर	
	b) बुरी तरह से क्षतिग्रस्त	
	i) पक्का घर	1,01,900/- प्रति घर पहाड़ी क्षेत्र के लिये और एकीकृत कार्य योजना मे समलित जिले।
	ii) कच्चा घर	
	c) आंशिक रूप से नष्ट आवास-	
	i) पक्का घर (झोपड़ी के अलावा) जहां नुकसान कम से कम 15 प्रतिशित हो	5,200/- प्रति घर
	ii) कच्चा घर (झोपड़ी के अलावा) जहां नुकसान कम से कम 15 प्रतिशित हो	3,200/- प्रति घर
	d) क्षतिग्रस्त / नष्ट झोपड़ी	4,100/- प्रति झोपड़ी (झोपड़ी का अभिप्राय अस्थाई मेक शिफ्ट यूनिट, कच्चा घर से बनी कच्ची मिट्टी की प्लास्टिक शीट आदि को

		पारम्परिक रूप से राज्य/ज़िला प्राधिकारी द्वारा हट के रूप मे पहचाना जाता है। नोटः– डैमेज हाउस राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकरण द्वारा विधिवत प्रमाणित अधिकृत होना चाहिए।
	e) घर के साथ मॅवेशी पालना	2,100/- प्रति छप्पर

उक्त मुआवजा निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने उपरान्त दिया जायेगाः–

अनुग्रह राशि का हकदारी

अनुग्रह राशि की हकदारी निम्नलिखित स्थितियों में होगीः–

1. तेंदुआ, जंगली हाथी, लकड़बघा, जंगली सुअर, सांप आदि के आकमण से मृत्यु, घायल या विकलांग होने पर।
2. तेंदुआ, लकड़बघा, जंगली सुअर, सांप आदि द्वारा पालतू पशुओं को मारे जाने की क्षति।
3. जंगली हाथी, जंगली सुअर, रोज, ककड़, साम्भर, चीतल तथा बन्दरों द्वारा फसलों की क्षति
4. जंगली हाथियों द्वारा मकान को क्षति।
5. अनुग्रह राशि की हकदारी केवल हरियाणा राज्य की सीमा के अन्दर नुकसान की होगी।

अनुग्रह राशि के हकदारी का गैर कानूनी होना

1. जंगली जानवरों द्वारा मानव क्षति पर दिये जाने वाले क्षतिपूर्ति के लाभ/प्रलोभन में परिवारिक सदस्यों द्वारा अथवा परिवार से भिन्न व्यक्तियों द्वारा किसी वृद्ध मनुष्य, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अयोग्य (मैडिकल अनफिट), विकलांग अथवा मानसिक रूप से असंतुलित तथा अवयस्क किसी मानव को अकेले जंगल में छोड़ दिये जाने एंव जगली जानवरों द्वारा ऐसे मानवों को क्षति पहुंचाने जाने पर अनुग्रह राशि का दावा गैर कानूनी होगा। क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत दावों के गैर कानूनी होने की पुष्टि होने पर ऐसे दावा प्रस्तुत करने वाले के विरूद्ध एफ0आई0आर0 (प्राथमिक) दर्ज कराने जैसी दण्डात्मक कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
2. राष्ट्रीय उद्यान/वन्य प्राणी विहार/संरक्षित क्षेत्र (Protected Area) व आरक्षित वन में अनुग्रह राशि की हकदारी नही होगी।
3. वाहन पर सवार व्यक्ति के किसी वन्य प्राणी के साथ सड़क दुर्घटना की दशा में, हकदारी मान्य नही होगी।
4. एक नुकसान के लिए मुआवजा हरियाणा सरकार के केवल एक विभाग द्वारा दिया जायेगा। कोई व्यक्ति एक ही नुकसान के लिए दो या अधिक विभागों में दावेदारी नहीं करेगा।

अनुग्रह राशि की भुगतान की प्रकिया

(ए) वन्य जीवों द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाये जाने पर अनुग्रह राशि की भुगतान की प्रकिया निम्नलिखित होगीः–

1. वन्य जीवों द्वारा किसी व्यक्ति के मारे जाने, अंपग करने अथवा घायल होने की सूचना तुरन्त स्थानीय वन्य प्राणी रक्षक/ वन रक्षक/ उप वन्य प्राणी निरीक्षक/ वन्य प्राणी निरीक्षक / मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी/ पुलिस को देनी होगी।
2. वन्य प्राणी निरीक्षक/ वन राजिक अधिकारी द्वारा 15 दिन के अन्दर–2 दुर्घटना की पूर्ण जांच मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
3. वन्य जीवों द्वारा मारे जाने, अपंग करने अथवा घायल कर दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य के चिकित्सक द्वारा इस सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।
4. अनुग्रह राशि का भुगतान करने से पूर्व मृतक व्यक्तियों के आश्रितों के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी से प्रमाण– पत्र प्राप्त किया जायेगा।

5. विभाग के निरीक्षण होने तक व्यक्ति के शव को दुर्घटना स्थल से नहीं हटाया जायेगा और जंगली जानवर के पैरों के निशान आदि को नष्ट नहीं किया जायेगा।

(बी) वन्य जीवों द्वारा मवेशियों को क्षति पहुंचाये जाने पर अनुग्रह राशि की भुगतान की प्रकिया निम्नलिखित होगी:—

1. मवेशी के स्वामी द्वारा मवेशी के मारे जाने की सूचना घटना के 24 घंटे के अन्दर स्थानीय वन्य प्राणी रक्षक/वन रक्षक/उप वन्य प्राणी निरीक्षक/वन्य प्राणी निरीक्षक/मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी/पुलिस को देनी होगी।
2. वन्य जीवों द्वारा पालतू पशुओं/मवेशी के मारे जाने पर प्रथमतः इसकी पुष्टि ग्राम प्रधान अथवा वर्तमान में पदासीन किसी जनप्रतिनिधि द्वारा कर दिये जाने के उपरान्त ही मारे गये मवेशी के मृत शरीर के घटना स्थल से हटाया जायेगा। मृत मवेशी के शव पर किसी प्रकार का विष अथवा कीटनाशक पदार्थ डाले जाने और किसी भी प्रकार से मवेशी के शव से छेड़— छाड़ किये जाने की दशा में अनुग्रह राशि देय नहीं होगी।
3. पशु चिकित्सक द्वारा मवेशी की मृत्यु का पोस्टमार्टम करवाना अनिवार्य है।
4. विभाग के निरीक्षण होने तक मृत पशु के शव को दुर्घटना स्थल से नहीं हटाया जायेगा और जंगली जानवर के पैरों के निशान आदि को नष्ट नहीं किया जायेगा।
5. राष्ट्रीय उद्यान/वन्य प्राणी विहार/संरक्षित क्षेत्र (Protected Area) व आरक्षित वन में अनुग्रह राशि की हकदारी नही होगी।

(सी) जंगली हाथियों द्वारा मकान को क्षति पर अनुग्रह राशि की भुगतान की प्रकिया निम्नलिखित होगी:—

1. मकान के मालिक द्वारा हाथियों द्वारा मकान में किये गये नुकसान की सूचना तुरन्त स्थानीय वन्य प्राणी रक्षक/वन रक्षक/उप वन्य प्राणी निरीक्षक/वन्य प्राणी निरीक्षक/मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी/पुलिस को देनी होगी।
2. क्षति का आंकलन सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार/नायब तहसीलदार एंव रेंज अधिकारी/सम्बन्धित वन्य प्राणी निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से कर लिये जाने पर जांच रिपोर्ट मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। जिनके द्वारा मामले में अन्तिम जांच करते हुये अन्तिम जांच रिपोर्ट एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से सम्बन्धित मुख्य वन्य प्राणी वार्डन, हरियाणा को प्रस्तुत किया जायेगा। अन्तिम जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित मुख्य वन्य प्राणी वार्डन, हरियाणा द्वारा प्रकरण में देय अनुग्रह राशि को स्वीकृत करने व भुगतान करने का पूर्ण अधिकारी होगा।

(डी) जंगली जीवों द्वारा फसलों के नुकसान को क्षति पर अनुग्रह राशि की भुगतान की प्रकिया निम्नलिखित होगी:—

1. खेत के मालिक/कास्तकार द्वारा जंगली जीवों द्वारा किये गये नुकसान की सूचना जब भी नुकसान हो स्थानीय वन्य प्राणी रक्षक/वन रक्षक/उप वन्य प्राणी निरीक्षक/वन्य प्राणी निरीक्षक/मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी को देनी होगी।
2. मुआवजे का भुगतान/निर्धारण फसल तैयार होने के समय किये गये निरीक्षण के आधार पर किया जायेगा।
3. क्षति का आंकलन सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार/नायब तहसीलदार एंव रेंज अधिकारी/वन्य प्राणी निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से कर लिये जाने पर जांच रिपोर्ट मण्डलीय वन्य प्राणी अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जिनके द्वारा मामले में अन्तिम जांच करते हुये अन्तिम जांच रिपोर्ट एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से सम्बन्धित मुख्य वन्य प्राणी वार्डन, हरियाणा को प्रस्तुत किया जायेगा। अन्तिम जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित मुख्य वन्य प्राणी वार्डन, हरियाणा द्वारा प्रकरण में देय अनुग्रह राशि को स्वीकृत करने व भुगतान करने का पूर्ण अधिकारी होगा।

4. फसल में वन्य जीवों द्वारा पहुंचाये गये नुकसान व प्राकृतिक आपदा ओले पड़ना आदि दो तरह के नुकसान की स्थिति में राजस्व विभाग के नियमों के अनुसार दोनो तरह के नुकसान को एक ही तरह का नुकसान मानकर मुआवजा दिया जायेगा।

Pawan Kumar 3/3/2020

अधीक्षक,
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
वन एवं वन्यप्राणी विभाग। VK

पृ0 कमांकः–372–व–4–2020/1659, चण्डीगढ़ दिनांकः– 3/03/2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य सचिव, हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
3. हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव।
4. राज्य के सभी विभागों/बोर्डों/निगमों/विश्वविद्यालयों के विभागाध्यक्ष।
5. राज्य के सभी मण्डलों के आयुक्त।
6. राज्य के सभी उपायुक्त।

Pawan Kumar 3/3/2020

अधीक्षक,
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
वन एवं वन्यप्राणी विभाग। VK